

ઇલાહાਬાદ વિકાસ પ્રાધિકરણ ઇલાહાબાદ

अनुमति-पत्र

गुहा निर्माणार्थी अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल द३० प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की घारा १४ व १५ के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु यद्यपि यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में इस पर मकान बने इसपर किसी प्रकार या किसी दस्तावेज निकाय या इसका संवैधानिक आधारकारी या व्यक्ति अधिवचन कर्म के मालिकाना अ वकारे पर किसी का कांई अवर फड़गा अ दृष्ट यह अनुमति किसी के सिक्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विवर कोई प्रभाव न उत्पन्न हो।

निवासित प्रस्तुत वर्णनों के अपार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री प्रधान से प्रतिवाद
प्रिया/प्रिया का नाम श्री... वर्षा विलास नृलला नृलला वार्ड नम्बर... में नवये में
वर्णित स्थान पर जो अवधारणा के साथ प्रस्तुत किये गये हैं सांचव के चिन्हित भवस विवर के अनुसार निम्न वर्णन
प्राप्त: निर्धारण करें।



१८३०)।०
सुनिव
इलाहाबाद विभास प्राधिकरण
इलाहाबाद

नोट :-—१—यह स्वीकृति पत्र किंवल पाँच चर्च को अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत माननित्र के अनुसार बहीं किया जाता है तो उसे गिरावधा आ सकता है। जिसका पुणे व्यय भार प्राप्ति वर होगा। यदि कोई इमारत यिना सचिव विकास प्राधिकरण को अनुमति प्राप्त करें तो निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होनी तो उसके निर्माणकर्ता भी बष्ट दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत इन्हीं होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के लिए का भार उस इमारत धनवान बाले से 10 प्रतिशत तंत्रहृष्टक के साथ बसल किया जायेगा।

2—दस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्राविक्षण जसे कि पॉट का, बारबा, तोड़िया, सीढ़ी, जाप नये अथवा पुराने निमाण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निमाण का, स्वीकृत भावे उसके साथ जगते में दिखाएं भी हो, नहीं प्रदान की जावेगी।

3-मकान निर्माण से शुद्ध नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के बिस्तों भाष्य (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े क्षेत्र वा उसके बाहर के क्षारण ढक रहे हैं) की हानि पहुँचे तो गृह स्वामी गृह उंचाय हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा शुद्ध निकास प्राप्तकरण ने एक लिंगित सूचना द्वारा और शोषण कहा तो पहले ही उसे आपने खंचे से भरमत कराकर पुर्ववत् अवश्य। इससे विकास प्राप्तकरण को संतुष्ट हो जाय, मैं कर देय।

4—गृह विभाग के समय इतका भी ध्यान रखना होवा कि भारतीय विद्युत अधिनियम (1956 (एटियन इनोकटिट ल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि बिक्रास आविकरण की बात करी में ऐसे मामले पाये जाये तो वह ऐसे नियमों को रोक अथवा हटा ला सकता है।

५—शार्थी को नियमानुसार विकास प्राप्तिकरण को मकान की दीव तक तथा घर बक बन जाने पर उसके पूर्ण हो जाने को सूचना मकान आवाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदर्शों का नाम भी देना होगा जिसके नियोक्ता भी गतिशील हआ है।

०—यदि निर्माण में मास्टर अधिकारी का दुल्लभन होता पाया जाया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रह सकती।

